भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4768
21अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

फसल की कटाई पश्चात् अवसंरचना और कोल्ड चेन की संख्या में वृद्धि

†4768. डॉ. भोला सिंहः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बुलंदशहर जिले सहित उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और अन्य योजनाओं के तहत कोल्ड चेन, पैक हाउस और कृषि-लॉजिस्टिक्स केंद्र सहित विकसित किए गए फसल कटाई पश्चात् अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) 2020 से अब तक सृजित अतिरिक्त भंडारण क्षमता के जिला-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या लघु और सीमांत किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति पर इन अवसंरचनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) स्वयं खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित नहीं करता है, लेकिन "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" योजना के तहत देश में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । पीएमकेएसवाई के तहत स्टैंडअलोन पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज का समर्थन नहीं किया जाता है। हालांकि, पीएमकेएसवाई के तहत कैप्टिव उपयोग के लिए कोल्ड स्टोरेज और पीएमकेएसवाई की घटक योजना ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत पात्र परियोजना उप घटक के हिस्से के रूप में पैक हाउस का समर्थन किया जाता है। पीएमकेएसवाई के तहत मोबाइल प्री-कूलिंग वैन, रीफर वाहन और रेकिंग के साथ या रेकिंग के बिना नियंत्रित तापमान/वेंटिलेटेड वाहन जैसे लॉजिस्टिक्स के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 31.07.2025 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 97 परियोजनाएँ स्वीकृत/अनुमोदित की जा चुकी हैं, जिनमें 27 शीत श्रृंखला परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनमें से 01 परियोजना बुलंदशहर जिले में, 02 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर और ऑपरेशन ग्रीन्स घटक योजना के अंतर्गत 04 परियोजनाएँ हैं। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 2020 से अब तक कैप्टिव उपयोग के लिए सृजित जिलावार प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) द्वारा 2020 में "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत कार्यान्वित इकाइयों के प्रभाव" पर किए गए और मंत्रालय को प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, यह रेखांकित किया गया था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना के अन्तःक्षेप के कारण, जबकि सभी क्षेत्रों में अपव्यय में कुछ कमी देखी गई थी, लेकिन फल और सब्जियां, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में अपव्यय में उल्लेखनीय कमी देखी गई थी, जिससे देश में सीमांत किसानों सहित किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने में मदद मिली। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत जुलाई 2025 तक कुल 1595 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1148 प्रचालनरत हैं, जिससे 3481484 किसान लाभान्वित हुए हैं।

******

अनुबंध

" फसल की कटाई पश्चात अवसंरचना और कोल्ड चेन की संख्या में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4768 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में कैप्टिव उपयोग के लिए 2020 से अब तक सृजित जिलावार प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता					
क्र.स.	**जिला-नाम**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**प्रसंस्करण क्षमता (एलएमटी/वर्ष)**	**परिरक्षण क्षमता (एलएमटी/वर्ष)**	**कुल प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (एलएमटी /वर्ष)**
1	आगरा	1	0.00	0.00	0.00
2	अलीगढ़	2	0.29	0.03	0.32
3	बाराबंकी	1	0.72	0.00	0.72
4	बरेली	3	0.29	0.00	0.29
5	भदोही	1	0.22	0.00	0.22
6	बदायूं	1	0.23	0.00	0.23
7	बुलंदशहर	1	0.16	0.07	0.23
8	चंदौली	1	0.04	0.00	0.04
9	फर्रुखाबाद	1	0.00	0.01	0.01
10	गौतम बुद्ध नगर	1	0.60	0.00	0.60
11	गोरखपुर	1	0.38	0.00	0.38
12	हापुड़	2	0.41	0.24	0.65
13	हाथरस	1	0.12	0.00	0.12
14	कानपुर देहात	3	0.37	0.00	0.37
15	लखनऊ	2	0.14	0.12	0.26
16	मथुरा	6	3.06	0.01	3.07
17	मेरठ	1	0.29	0.10	0.39
18	मिर्जापुर	2	1.43	0.00	1.43
19	पीलीभीत	1	0.23	0.00	0.23
20	उन्नाव	1	0.00	0.00	0.00
21	वाराणसी	2	0.14	0.00	0.14
	कुल योग	**35**	**9.12**	**0.58**	**9.70**

*****